न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

UPUN120005312010

फौजदारी परिवाद सं0–2383/2010
ओमप्रकाश बनाम अनिल कुमार आदि
थाना– पुरवा, जिला उन्नाव।
दिनांक–24.07.2026

अभियुक्तगण अनिल कुमार, विमल कुमार उर्फ विमल शर्मा, बउवा उर्फ प्रवीन शर्मा, रामचन्द्र शर्मा, राजेश कुमार उर्फ राजेश शर्मा की ओर से प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण सं0–5376/2026 की सत्यापित प्रति जिसे कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा पुनः सत्यापित किया गया है। प्रस्तुत करने पर यह पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र की सुनवाई का आज ही आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश की प्रति के सादर अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय में इस दाण्डिक परिवाद में सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त किये जाने की याचना की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 13.07.2026 द्वारा स्वीकार करते हुए वर्तमान दाण्डिक परिवाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के सादर अनुक्रम में वर्तमान दाण्डिक परिवाद 2383/2010, धारा–406,420,506 भा0दं0सं0, थाना पुरवा, जिला उन्नाव की सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त की जाती है। अभियुक्तगण को जारी आदेशिकायें, यदि कोई हों अदम तामील वापस मंगायी जाती हैं। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। प्रार्थनापत्र तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

(हिमानी गौतम)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा, उन्नाव।